- ykMZyh y{eh ;kstuk ¼fDyd djsa½
- iks"k.k vkgkj ;kstuk ¼fDyd djsa½

ykMyh y{eh ;kstuk

;kstuk dk Lo:i %&

01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद जन्मी उन बालिका को योजना का लाभ दिया जाता है, जिनके माता–पिता द्वारा दो बच्चों के उपरांत परिवार नियोजन का स्थायी साधन अपनाया गया हो। 01 अप्रैल 2006 के बाद जन्मी प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका को भी बिना परिवार नियेजन की शर्त के योजना से जोडा गया है कन्तु दो बच्चों के उपरांत परिवार नियोजन आवश्यक होगा।

ik=rk dh 'krsZ %&

1. हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो तथा परिवार मध्यप्रदेश में निवासरत हो।
2. मध्यप्रदेश की किसी भी आंगनवाडी केंद्र में बालिका का नाम दर्ज होना चाहिये।
   हितग्राही आयकर दाता न हो।
3. दो बच्चों पर परिवार नियोजन कराया जाना अनिवार्य है।
4. अनाथ बालिका के प्रकारण में आथालय में प्रवेश के एक वर्ष के अंदर एवं आयु 6 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन देना होगा।
5. जिस परिवारमें अधिकतम दो संतान हैं, तथा माता अथवा पिता की मृत्यु होने पर उस परिवार की बच्ची के जन्म के पांच साल होने तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रकरण में महिला की दूसरी शादी होती है व महिला के पूर्व से दो बच्चे हैं, तो दूसरी शादी से उत्पन्न बच्ची को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
6. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लडकिया होने पर तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
7. बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभिभावक विलंब का कारण सहित कलेक्टर को दो वर्ष के अंदर अपील कर सकेंगे।

;kstuk ds rgr ns; ykHk %&

1. योजना अंतर्गत हितग्राही को प्रति वर्ष रूपये 6000–6000 के राष्ट्रीय बचत पत्र पांच वर्षो तक प्रदान
   किये जाते हैं।
2. बालिका के कक्षा–6 में प्रवेश लेने पर रूपये– 2000/– कक्षा–9वी में प्रवेश लेने पर रूपये 4000/– और कक्षा–11वी में प्रवेश लेने पर रूपये 7500/– का एकमुश्त भुगतान किया जावेगा। कक्षा–11वी में प्रवेश लेने के पश्चात् आगामी दो पर्ष के लिये रूपये– 200/– प्रतिमाह का भुगतान बालिका को दिया जावेगा।
3. बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर तथा कक्षा–12वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एक मुश्त राशि का भुगतान किया जावेगा। परंतु यह शर्त होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात् हुआ हो। इस प्रकार जन्म के एक वर्ष के अंदर योजना के तहत् पंजीकृत होने वाली बालिका के लिये भुगतान की गई कुल राशि रूपये एक लाख से अधिक होगी।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost %&

1 योजना हेतु हितग्राही आंगनवाडी कार्यकर्ता से निर्धारित आवेदन प्राप्त कर आवेदन करेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे :–
2 बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
3 स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
4 आयकर दाता नही होने संबंधी प्रमाण पत्र।
5 परिवार नियोजन अपनाये जाने संबंधी प्रमाण पत्र (01 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी प्रथम बालिका के प्रकरण में आवश्यक नही)

vkosnu fdls izLrqr djuk gS %&

आवेदन पत्र संबंधित आंगनवाडी केंद्र की आंगनवाडी कार्यकर्ता को दिया जावेगा।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

Mkq- uhfyek frokjh
ftyk dk;ZØ-vf/k-] efgyk ,oa cky fodkl] flouh

ik"k.k vkgkj ;kstuk

;kstuk dk Lo:i %&

यह योजना ग्रामीण, आदिवासी एवं शहरी क्षेत्र में संचालित आंगनवाडी केंद्रों के माध्यम से चलाई जाती है।

ik=rk dh 'krsZ %&

06 माह से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री महिलायें एवं 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकायें।

;kstuk ds rgr ns; ykHk %&

योजना के तहत आंगनवाडी केंद्रों में सांझा चूल्हा के माध्यम से 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को नाश्ता, भोजन एवं अतिकम वजन वाले बच्चों को तीसरा मील तथा 06 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदाय पोषण आहार टेक होम राशन के रूप में प्रति सप्ताह 5 दिवस दिया जाता है तथा प्रति सप्ताह एक दिवस मंगल दिवस में सांझा चूल्हा अंतर्गत हितग्राहियों को पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vko';d nLrkost %&

हितग्राही को आंगनवाडी केंद्र में अपना नाम दर्ज कराना होता है। आवेदन अथवा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS %&

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; %&

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 143857 एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में 144907 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है।

Mk- uhfyek frokjh
ftyk dk;Z-vf/k-] efgyk ,oa cky fodkl] flouh